13/3/26	पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हो। फरीक उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। चिन्हित डिक्री शामिल किया जावे। तहसीलदार को पत्र जारी हो। नक्शे मे दर्ज हो। डिक्री जारी की जावे BV उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/647

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–270/2025 (जी.सी.एम.एस. नं. 2025/647) दिनांकः–15.12.2025

–:: अनवान ::–

1.दर्शनराम पुत्र महेन्द्रराम जाति बावरी साकिन 3 एफ0डी0एम0 तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1.मोहर सिंह पुत्र तुलछीराम जाति बावरी साकिन 5 एफ0डी0एम0–बी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.बृजमोहन शर्मा वकील प्रार्थी

2.श्री सर्वजीत छाबड़ा वकील अप्रार्थी सं. 01

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 13 मार्च 2026

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसके नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 5 एफडीएम 'बी' की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता न. 4/3 के पत्थर न. 98/343 (60) के किला न. 9/2 में 0.101 हैक. कमाण्ड, 10 ता 17 में 2.024 हैक. कमाण्ड, 18/1 में 0.025 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 2.150 हैक. कमाण्ड भूमि में प्रार्थी के नाम 1063/2150 हिस्सा (यानि 1.063 हैक.) खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस रकबा को काश्त करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम से इसी चक के खाता न. 40/38 के पत्थर नं. 98/343 (60) के किला न. 1 ता 9/1 में 2.176 हैक. कमाण्ड रकबा खातेदारी है। पत्थर न. 97/342 के किला न. 21/2 ता 25/2 में मंजुर शुदा सरकारी रास्ता है जो पत्थर नं. 98/343 के किला न. 5 तक आता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए कोई मंजुर शुदा रास्ता नहीं है। इसलिए अप्रार्थी न. 1 के नाम के पत्थर नं. 98/343 के किला न. 5 व 6 प्रत्यके किलाजात में 0.025 – 0.025 हैक. (पूर्वी पासा में, उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) रकबा रास्ता के रूप में उपयोग में लेकर प्रार्थी अपने रकबा को काश्त करता है तथा अपनी फसल उपज को अपने गावं लेकर जाता है। प्रार्थी को कोई अन्य मंजुर शुदा रास्ता अपने खातेदारी रकबा को नहीं लगता है। इसलिये प्रार्थी को इस रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है तथा प्रार्थी इस रकबा के बदले डीएलसी राशि अप्रार्थी न. 1 को देने के लिये तैयार है। इसलिये जैरप्रकरण रास्ता मन्जूर करने का निवेदन किया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ को मूल ही प्रेषित कर प्रार्थना पत्र के सम्बंध में जॉच कर रिपोर्ट मय टिप्पणी भेजने का आदेश दिया गया तथा तहसीलदार से रास्ता की रिपोर्ट भी मॉगी गई जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ व भू. अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) व पटवारी हल्का स्वंय ने मौका पर जाकर सम्बधित काश्तकारान की सुनवाई कर रिपोर्ट पेश कर प्रेषित कि तत्पश्चात् प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया।

अप्रार्थी न. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सर्वजीत छाबड़ा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को पत्थर न. 98/342 के किला न. 1–10–11–20–21 में पक्की सड़क लगती है जिसके किला न. 1 से प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध हो सकता है इसलिये प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नही है। इसलिये प्रार्थी पत्थर न. 98/343 के किला न. 1 में 1 बिस्वा रास्ता ले

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सकता है तथा प्रार्थी द्वारा खाते में अकिंत सभी सह काश्तकारो को पक्षकार नही बनाया है इसके अभाव में अकेला प्रार्थी ना तो अपनी भूमि में से भूमि दे सकता है और ना ही रास्ता स्वीकृति का हकदार है ना ही किसी विशिष्ट हिस्से पर अपना कब्जा बता सकता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिये पत्थर न. 97/342 के किला न. 21/2 ता 25/2 में मन्जूर शुदा रास्ता से अप्रार्थी न. 1 के नाम के पत्थर न. 98/343 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक किलाजात में 0.025 – 0.025 हैक. (पूर्वी पासा, उतर से दक्षिण लम्बाई मे) रास्ता का उपयोग करता है तथा एक अन्य वैकल्पिक रास्ता जो पत्थर न. 98/343 के किला न. 1 से होना बताया गया है जो पूर्णतया गलत है क्योकि पत्थर न. 98/343 के किला न. 1 में गैरमुमकिन खाला बना हुआ है इसलिये रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही है तथा वो प्रार्थी की पहुच मार्ग नही हो सकता। क्योकि प्रार्थी पत्थर न. 97/342 के किला न. 21/2 ता 25/2 में मन्जूर शुदा रास्ता से होकर ही अप्रार्थी न. 1 के नाम के पत्थर न. 98/343 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक किलाजात में 0.025–0.025 हैक. (पूर्वी पासा, उतर से दक्षिण लम्बाई मे) स्थित रास्ता से होकर ही अपने खातेदारी रकबा को काश्त करता है। यही एक मात्र रास्ता है। यह अत्यंन्त आवश्यक मार्ग है। अप्रार्थी न. 1 द्वारा ऐतराज किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने सहकाश्तकार को पक्षकार नही बनाया है और प्रार्थी अकेला भूमि नही दे सकता है व रास्ता स्वीकृत नही करवा सकता है वो भी कानून सम्मत् नही है क्योकि केवल मात्र एक खातेदार भी अपनी जोत में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवा सकता है व भूमि के बदले भूमि दे सकता है इसलिये अप्रार्थी न. 1 का ऐतराज कानून सम्मत् नही है तथा कानूनी नजीर RRT 2022 (2) पेज 996 व RLW 2003 (1) पेज 577 व RRT 2019 (2) पेज 1098 पेश की।

अप्रार्थी न. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी जैरप्रकरण रास्ता की बजाय 98/343 के किला न. 1 के रकबा में से रास्ता लेकर अपने रकबा को काश्त कर सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी को अपने रकबा को काश्त करने के लिये कोई भी स्वीकृत शुदा रास्ता नही हैं तथा पत्थर न. 98/343 के किला न. 5 व 6 में से होकर पत्थर न. 97/342 के किला न. 21/2 का मन्जूर शुदा रास्ता ही लगता है तथा प्रार्थी अप्रार्थी न. 1 के नाम के पत्थर न. 98/343 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक किलाजात में 0.025 – 0.025 हैक. (पूर्वी पासा, उतर से दक्षिण लम्बाई मे) स्थित रास्ता का उपयोग करके ही अपने खातेदारी रकबा को काश्त कर सकेगा जहा तक अप्रार्थी द्वारा अन्यत्र वैकल्पिक रास्ता जो पत्थर न. 98/343 के किला न. 1 से रास्ता जोड़ने का प्रस्ताव है वो कतई मानने योग्य नही है। क्योकि पत्थर न. 98/343 के किला न. 1 में खाला स्थित है इसलिये हम प्रार्थी के रकबा के लिये अप्रार्थी न. 1 के पत्थर न. 98/343 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक किलाजात में 0.025 – 0.025 हैक. (पूर्वी पासा, उतर से दक्षिण लम्बाई मे) रास्ता स्वीकृत करना उचित समझते है। अप्रार्थी द्वारा बताया गया वैकल्पिक रास्ता सही होना प्रतीत नही हो रहा है जबकि प्रार्थी को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी न. 1 के नाम के रकबा चक 5 एफडीएम 'बी' के पत्थर न. 98/343 के किला न. 5 व 6 प्रत्येक किलाजात में 0.025 – 0.025 हैक. (पूर्वी पासा, उतर से दक्षिण लम्बाई मे) कमाण्ड रकबा में से प्रार्थी के इस पत्थर न. 98/343 के किला न. 15 के रकबा तक पहुच मार्ग स्वीकृत किया जाकर यह रकबा गैरमुमकिन रास्ता के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में वर्तमान प्रचलित [illegible] दर से प्रार्थी, अप्रार्थी–01 को राशि अदा करेगा। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार [illegible]वाने पर उक्त स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। स्वीकृत रास्ता पर [illegible] ऋण निष्प्रभावी रहेगा। स्वीकृत रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रहेगा। तहसीलदार के नाम पत्र जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:35:18 IST
Reason: SelfAttested